



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004

HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/०५

दिनांक: 14.10.2022

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 277/2022

विषय:- Grant of Non-functional Scale to Gr. 'B' officers in organized departments of Indian Railways-reg.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(GP)2003/2/22 दिनांक: 12.10.2022, RBE No.127/2022 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक एवं दिनांक, RBE No.	स्थापना नियम संख्या
1.	E(GP)2003/2/22 dt.12.12.2018, RBE No.192/2018	361/2018

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-


Web-site-

Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

Share Folder-

Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.


14.10.22

(अशोक कुमार शर्मा)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(GP)2003/2/22

New Delhi, dated: 12/10/2022

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units

(Kind attn.: PCPOs/PFAs/Dy.CPO(G)/Dy.CAO(G))

Sub.: Grant of Non-functional Scale to Gr. 'B' officers in organized departments of Indian Railways- req.


Ref.: Board's letter no.E(GP)2003/2/22 dated 12.12.2018.

.....

Please refer to instructions contained in Board's letter no.E(GP)2003/2/22 dated 12.12.2018 on the aforementioned subject. It has now been decided to modify Para 3.3 of the said letter as under:

"GM will constitute a Committee consisting of 3 Heads of Deptt. including the PCPO/CPO, the HOD of the concerned department and another HOD. If none of them belong to SC/ST, a fourth officer belonging to SC/ST not below JAG has to be coopted as a member of the Committee. *However, in the eventuality of the name of PHOD figuring in 'Secret list' or he/she may not be available due to any other compelling circumstances, General Manager may nominate any other HAG/SAG officer of the concerned department in the DPC. In view of their unavailability also due to some compelling reasons. PHOD/HAG/SAG officer of any other department of the Railway may be coopted for the DPC constituted for placement of Gr.B officers in the higher non-functional scale of Level-10.*"

2. These instructions will take effect from the date of issue of this letter.


(Meenakshi Saluja)
Dy. Director, Estt.(GP)-III
Railway Board
Ph. No. 23047250
E.mail ID-meena.1964@gov.in

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(जीपी)2003/2/22

नई दिल्ली, दिनांक: 12/10/2022

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

(ध्यानार्थ: पीसीपीओ/पीएफ़ए/उप सीपीओ(जी)/उप सीएओ (जी))


विषय: भारतीय रेल के संगठित विभागों में ग्रुप 'बी' अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक स्केल प्रदान करना।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 12.12.2018 का पत्र सं. ई(जीपी)2003/2/22.

कृपया उक्त उल्लिखित विषय पर बोर्ड के दिनांक 12.12.2018 के पत्र सं. ई(जीपी)2003/2/22 में विनिर्दिष्ट अनुदेशों का अवलोकन करें। अब उक्त पत्र के पैरा 3.3 को निम्नानुसार आशोधित करने का विनिश्चय किया गया है:

“महाप्रबंधक 3 विभागाध्यक्षों की एक समिति का गठन करेंगे, जिसमें पीसीपीओ/सीपीओ, संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष और किसी अन्य विभाग के विभागाध्यक्ष शामिल होंगे। यदि इनमें से कोई भी अधिकारी एससी/एसटी से नहीं हैं तो चौथे अधिकारी, जो एससी/एसटी से हो और जेएजी के निचले स्तर से न हो, को समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाए। बहरहाल, प्रधान विभागाध्यक्ष का नाम 'गुप्त सूची' में होने की संभावना होने पर अथवा किसी अन्य अकाट्य परिस्थितियों के कारण उनके उपलब्ध न होने पर महाप्रबंधक, डीपीसी में संबंधित विभाग के किसी अन्य एचएजी/एसएजी अधिकारी को नामित कर सकते हैं। किन्हीं अकाट्य परिस्थितियों के कारण उस अधिकारी के भी उपलब्ध न होने पर रेलवे के किसी अन्य विभाग के पीएचओडी/एचएजी/एसएजी अधिकारी को लेवल-10 के उच्चतर गैर-कार्यात्मक स्केल में ग्रुप 'बी' अधिकारियों की नियोजन के लिए गठित डीपीसी हेतु सहयोजित किया जा सकता है”।

2. ये अनुदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।



(मीनाक्षी सलूजा)

उप निदेशक, स्थापना (जीपी)-III

रेलवे बोर्ड

फोन नं. 23047250

ई मेल आईडी- meena.1964@gov.in